(ग) क्या सरकार वसूली के संबंध में कोई नयी नीति बनाने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, मार्च, 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार, सभी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित बकाया अग्रिमों और अतिदेयों की कुल राशि क्रमश: 125955 करोड़ रु० और 22989 करोड़ रु० थी । चूंकि बैंक ऋणदाता संस्थाएं हैं, इसलिए उधार दी गई निधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सभी प्रणालियों और क्रियाओं के बावजूद कतिपय ऋण राशियां अशोध्य हो जाती हैं । अतिदेयों और अशोध्य ऋणों की बारदातों को कम करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों मे अलग अलग राशियों की स्थिति दर्शाने के लिए एक व्यापक और समान ग्रेडिंग प्रणाली शुरु करने के लिए कहा है, ताकि इन आग्रमों की कारगर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकें । उनसे यह भी कहा गया है कि वे सर्वाधिक अशोध्य खातों की वसूली पर नजर रखें । सामायत:, बैंक वसूली के सभी अवसर समाप्त हो जाने के बाद और अपने हितों की सुरक्षा करने तथा परिसीमन कानून की अवधि के अन्दर प्रतिभूति को प्रवर्तित करने के लिए मुकदमें दायर करते हैं ताकि उधारकर्ताओं द्वारा अदा न की गई शेष बकाया राशियों की वसूली की जा सके । बैंक अतिपय अग्रिमों को अशोध्य ऋणों के रूप में केवल तभी बट्टे खाते डालते हैं जब वे इस बात से पूर्णतया संतुष्ट होते हैं कि ये अग्रिम अंततोगत्वा वसूली योग्य नहीं है इस प्रकार, बैंक के हितों की सुरक्षा करने के लिए चूक वाले खातों की सतत निगरानी और समीक्षा की जाती है । हाल ही में, बैंकों को देय ऋणों के शीघ्र न्यायानर्णयन और वसूली के लिए तथा उससे संबंधित या प्रासंगिक मामलों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया है ।

Pension to LIC employees

932. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the amount of pension which is given to Life Insurance Corporation Pensioner;

(b) whether dearness allowance and the benefit of family allowance is also being given and if so, since when and to whom; and

(c) whether peons are also entitled to the benefits?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) At present no pension scheme is available to the employees of the Life Insuarnce Corportation of India (LIC). However on the basis of a Memorandm of Understanding reached between the Employees Associations and the Management of LIC, a draft pension scheme which covers all employees including peons has been formulated and sent to the Government by the LIC. This is under consideration of the Government.

"आयकर अपील प्राधिकरण" के समक्ष लम्बित मामले

933. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "आयकर अपील प्राधिकरण" के समक्ष लम्बित मामलों की संख्या एक लाख से अधिक हो गई है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्राधिकरण को कितने मामले प्राप्त हुए और उसके द्वारा कितने मामले निपटाये गये ; और

(ग) सरकार लम्बित मामलों की संख्या कम से कम करने के लिये क्या-क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां, दिनांक 1-6-1994 को आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अनिर्णीत पड़े मामलों की कुल संख्या 2,71,885 थी ।

वर्ष	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले
1991-92	83765	60167
1992-93	79189	55811
1993-94	70334	49584

(ग) अधिकरण में सदस्यों के रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है । सदस्यों को उन स्थानों पर दौरे पर भेजा जाता है, जहां या तो अनिर्णीत मामले अधिक हैं अथवा स्थायी पीठे नहीं हैं ।

अपीलों को एकत्रित करना जिस में सामान्य विषयों पर सुनवाई होनी है और उन मामलों की संवीक्षा करना जिनके शीघ्र निपटान हेतु पूर्व निर्णयों का विवरण हो, जैसे कुछ अन्य कदम अनिर्णीत पड़े मामलों को कम करने के लिए उठाए गए हैं ।

Opening of New Bank branches in Gujarat

934. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the names of the Banks having their branches in Gujarat together with the number of branches of each bank;

(b) what are the details of the yriteria adopted by the Reserve Bank of India to allow opening of new branches of banks;

(c) whether Government propose to open new branches of the banks in the State in the near future; and

(d) if so, by when and district-wise location thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) A total of 3444 bank branches were functioning in Gujarat as at the end on March 1994. Bank-wise number of branches of these banks are given in Statement I (*See below*)

(b) Under the Branch Expansion Policy 1990-95 tht proposal for opening of branches at rural centres identified by the bank within their service area and received through the concerned State Government duly recommended are considered by Reserve Bank of India (RBI) on merit. As regards semi-urban centres, the banks have freedom to open branches at the centres of their choice within the quota allotted to them on all India basis. No State-wise quota has been allotted for the purpose of opening branches at semi urban centres. In respect of Urban/Metropolitan/Port Town centres, allotments are made on the basis of centres identified by the Working Groups constituted at Regional Offices of RBI. Under the currrent Branch Expansion Policy banks have freedom to open specialised branches viz. Industrial Finance Overseas, SIB/SSSI, NRI Treasury branches etc. after ensuring adequate business at the centre. Such proposals are not required to be referred to RBI for approval. Proposals other than these which do not confirm to RBI's norms for specialised branches are, however, to be referred to RBI for prior approval. Banks are also free to open their Extension Counters provided they are the organisation on whose premised the Extension Counter functions.

(c) and (d) The details of centres allotted to banks for opening their branches in Gujarat during Branch